अध्याय 1 ⟹ प्रस्तावना

संसदीय स्थाई समिति (1997-98) ने भारतीय रेल की कार्यशालाओं के आधुनिकीकरण तथा क्षमता उपयोग पर अपनी चौदहवी रिपोर्ट में माना कि कुछ कार्यशालाओं में कार्यचालन स्थितियां श्रमिकों के स्वास्थ्य के लिए बहुत करूणाजनक तथा खतरनाक थी। इसलिए समिति ने सख्ती से सिफारिश की कि वर्तमान कार्यचालन स्थितियों में सुधार करने के लिए ईमानदार प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं। समिति ने यह भी सिफारिश की कि नई सुविधाओं का सृजन किया जाना चाहिए ताकि धुआं उत्सर्जन तथा गंदा जल विसर्जन/निपटान मानक पर्यावरण आवश्यकताओं को प्रमाणित कर सके।

स्टेशनों, गाड़ियों तथा रेल पथों पर पर्यावरण प्रबन्धन की एक समीक्षा की गई थी और लेखापरीक्षा निष्कर्ष लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2012-13 की सं. 21 में शामिल किए गए थे। वर्तमान समीक्षा इनके प्रचालनों तथा अनुरक्षण कार्यकलापों के कारण पर्यावरण प्रभाव के प्रबन्धन में कार्यशालाओं[1], शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों के निष्पादन पर केन्द्रित है।

1.1 संगठनात्मक ढांचा

रेलवे बोर्ड स्तर पर कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों के कार्यकलापों के निरीक्षण के लिए दो निदेशालय यथा यांत्रिक इंजीनियरी[2] (एमई) तथा यांत्रिक इंजीनियरी (पीयू एवं डब्ल्यू) हैं। प्रत्येक निदेशालय का सदस्य यांत्रिक, जो इन दोनों निदेशालयों का सम्पूर्ण प्रभारी है, को सीधे सूचित करने वाला अतिरिक्त सदस्य अध्यक्ष होता है।

[1] कोचिंग डिपुओं सहित

[2] कोचिंग भण्डार, वैगन, इंजन, ईंधन तथा सुरक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों के लिए उत्तरदायी

क्षेत्रीय स्तर कोचिंग डिपो तथा शेडों सहित कार्यशालाओं का अध्यक्ष, मुख्य यांत्रिक अभियन्ता (सीएमई) होता है।

भारतीय रेल की सभी उत्पादन ईकाईयां रेलवे बोर्ड के यांत्रिक निदेशालय (पीयू एव डब्ल्यू)/विद्युत निदेशालय को सीधे रिपोर्ट करती हैं। उत्पादन ईकाईयों के अध्यक्ष, महाप्रबन्धक होते हैं और यांत्रिक, भण्डार, विद्युत, कार्मिक आदि सम्पूर्ण कार्यचालन जैसे विभागों के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है। कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों के संगठनात्मक ढांचे ***परिशिष्ट-I*** में दर्शाए गए है।

1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

समीक्षा यह सत्यापित करने के लिए की गई थी कि क्या:

I. वायु, जल तथा शोर प्रदुषण की रोकथाम तथा नियंत्रण से संबंधित कानूनों, नियमों तथा विनियमों का कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों द्वारा अनुपालन किया गया था;

II. ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के इष्टतम उपयोग द्वारा संसाधन प्रभावी रूप से प्रबन्धित थे;

III. कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों में उत्पन्न अपशिष्टों का निपटान कानून, नियमों तथा विनियमों के अनुपालन में प्रबन्धित था; और

IV. श्रमिकों का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा का भारतीय फैक्टरी अधिनियम 1948 की अपेक्षाओं के अनुसार तथा भारतीय रेल की नियम पुस्तकों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार मानीटरन किया गया था।

1.3 लेखापरीक्षा मानदण्ड के स्रोत

वायु तथा जल में प्रदुषण नियंत्रण के लिए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा और केन्द्र/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा भी जारी विभिन्न अधिनियमों, नियमों,

विनियमों तथा अधिसूचनाओं[3] के अधीन निर्धारित प्राचलों पर समीक्षा आधारित थी। पर्यावरणीय चिन्ताओं का समाधान करने में कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों के निष्पादन का निर्धारण करते समय भारतीय रेल द्वारा समय-समय पर जारी मार्गनिर्देशों तथा अनुदेशों को भी ध्यान में रखा गया था।

1.4 कार्य क्षेत्र एवं लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली

वायु, जल तथा शोर प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग सहित ऊर्जा तथा जल जैसे संसाधनों के संरक्षण के लिए 2007-12 के दौरान भारतीय रेल द्वारा किए गए उपायों की लेखापरीक्षा में जांच की गई। लेखापरीक्षा में कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों में खतरनाक तथा अपशिष्टों के प्रबन्धन और निपटान, कर्मचारियों के व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की भी जांच की गई।

भारतीय रेल में 31 मार्च 2013 को 66 कार्यशालाएं[4], 366 शेड[5] तथा छः उत्पादन ईकाईयां हैं ***परिशिष्ट-II तथा III*** में यथा उल्लिखित 49 कार्यशालाओं, 89 शेडों (कोचिंग तथा वैगन डिपो सहित) और छः उत्पादन ईकाईयां (चयनित ईकाईयां) के नमूनों का विस्तृत जांच हेतु चयन किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा क्षेत्रीय तथा उत्पादन ईकाईयों स्तर पर रेलवे बोर्ड के सम्बन्धित कार्यकारियों तथा विभागों के सम्बन्धित अध्यक्षों के साथ एन्ट्री कान्फ्रेंस (अक्तूबर 2012) से आरम्भ की गई जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, अध्ययन का क्षेत्र और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। इस निष्पादन समीक्षा के क्षेत्र के संगत सभी 17 क्षेत्रीय रेलों के अभिलेखों की रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर

[3] पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा जारी पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986, वायु (प्रदुषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981, जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियत्रण) अधिनियम 1974, जल (प्रदूषण की रोकथाम तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम 1977, शोर प्रदूषण (विनियमन तथा नियंत्रण) नियम 2000, खतरनाक अपशिष्ट (प्रबन्धन, प्रहस्तन तथा सीमावार संचलन) नियम 2008

[4] यांत्रिक कार्यशालाएं, 10 एसएण्डटी कार्यशालाएं और पुलसहित 15 इंजीनियरी कार्यशालाएं

[5] 64 डीजल लोको शेड, 30 इलैक्ट्रीकल लोको शेड, 30 ईएमयू/डेमू/मेमू कार शेड, 94 वैगन डिपो और 148 कोचिंग डिपो

जारी निर्देशों/मार्गनिर्देशों के कार्यान्वयन की स्थिति सहित राज्य तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के सांविधिक अनुपालन की मात्रा का सत्यापन करने के लिए की गई थी। कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों द्वारा पर्यावरणीय मामलों से संबंधित क्षेत्रीय रेलों के सांविधिक अनुपालन से सम्बन्धित रेलवे बोर्ड स्तर पर मानीटरन से संबंधित अभिलेखों की भी जांच की गई थी।

सर्वेक्षण प्रश्नावली के माध्यम से श्रमिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने के अतिरिक्त विभिन्न कार्यशालाओं, शेडों तथा उत्पादन ईकाईयों में रेलवे अधिकारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण भी किया गया था।

ड्राफ्ट समीक्षा प्रतिवेदन सितम्बर 2013 में रेलवे बोर्ड को जारी किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर रेलवे बोर्ड में सम्बन्धित कार्यकारियों के साथ नवम्बर 2013 में आयोजित एक्जिट कान्फ्रेंस में चर्चा की गई थी। ऐसे ही एक्जिट कान्फ्रेंस का क्षेत्रीय स्तरों पर सम्बन्धित विभागाध्यक्षों के साथ जोनों में प्रधान निदेशक, लेखापरीक्षा द्वारा भी आयोजन किया गया था। लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर रेलवे बोर्ड के विचारों को प्रतिवेदन में समाविष्ट किया गया है।

1.5 आभार

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के आयोजन में क्षेत्रीय रेलों द्वारा तथा रेलवे बोर्ड द्वारा किए गए सहयोग का आभार माना जाता है।